न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) –जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 38/2019
3. उनवान : नितेश पारीक पुत्र श्री पीयूष पारीक जाति पारी हाल निवासी तिवाडी जी की बगीची पोलो विक्ट्री, जयपुर।

–अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट

4. निर्णय दिनांक : 27-06-2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री उमेश पारीक अपीलान्ट की ओर से।
   ब) सरकार पैरोकार रेस्पोडेन्ट ओर से।

निर्णय

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार किशनगढ रेनवाल दिनांक 13.09.2019

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत आराजी खसरा नंबर 388/1 एवं 388/2 रकबा 32.05 बीघा वाके ग्राम मलिकपुरा तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर का नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर खोलने हेतु रेस्पोडेन्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया। दिनांक 24.08.2019 तक भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट नहीं आई थी तथा आगामी तारीख रिपोर्ट हेतु नियत थी। दिनांक 13.09.2019 को भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट आ गई थी, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि उक्त सम्पति प्रार्थी के दादा श्री मुरलीधर पुत्र कन्हैयालाल ने एक वसीयत अपनी पत्नी जानकी देवी के हक में स्वःअर्जित सम्पति कहते हुये की है तथा जानकी देवी ने प्रार्थी के हक में वसीयत की है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर विचार न कर किस आधार पर विवादग्रस्त भूमि को पैतृक भूमि माना है, स्पष्ट नहीं किया है। अतः निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। फर्द मौका रिपोर्ट में जो सजरा दर्शित किया है, उसमें प्रार्थी ने सभी वारिसों के बयान भी अधीनस्थ न्यायालय में करवाये है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उन पर भी विचार न कर जल्दबाजी में निर्णय दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्पष्ट नहीं है। मिसल बंदोबस्त सम्वत 2011 से 2029 के अवलोकन से उनको किस प्रकार ज्ञात हुआ कि उक्त सम्पति पैतृक है, स्पष्ट नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने किस आधार पर माना कि वसीयत स्वतः ही शून्य है, इस पर किसी प्रकार का विवेचन नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया। प्रार्थी को सर्वप्रथम निर्णय की जानकारी आरटीआई के माध्यम से दिनांक 22.11.2019 को हुई, तो उसने तहसील कार्यालय में दिनांक 26.11.2019 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी नकल उसे दिनांक 26.11.2019 को ही प्राप्त हुई तथा अपने कानूनी सलाहकार से मशविरा कर उक्त अपील जानकारी होने के दिन से अवधि में ही प्रस्तुत कर दी है। निर्णय न्याय तथा प्रकृति के स्वाभावित सिद्वान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 13.09.2019 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी के नाम नामान्तरकरण खोले जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

अपीलान्ट ने अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये तथा मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया एवं पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने बहस अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि अपीलान्ट की दादी जानकी देवी से जरिये वसीयत प्राप्त हुई। जानकी देवी के पास सम्पति

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

उनके पति मुरलीधर से जरिये वसीयत प्राप्त हुई, जो कि स्वअर्जित की श्रेणी में आती है। इसके अतिरिक्त वसीयत में सभी पक्षकारों की सहमति व बयान हैं। गवाहों के बयान हैं। पत्रावली में सजरा खानदान अनुसार वारिसान की रिपोर्ट है। जिस मिसल बंदोबस्त सम्वत 2011 से 2029 का हवाला दिया है, उसमें पटवारी एवं आई.एल.आर. की रिपोर्ट विरोधाभावी है। पटवारी रिपोर्ट दस्तावेजों से पुष्ट नहीं है। उक्त सम्पति पैतृक है, स्पष्ट नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार पर वसीयत को स्वतः ही शून्य माना गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

सरकार पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि नामान्तरकरण की कार्यवाही बाद जांच एवं काश्तकारी अधिनियम तथा भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही की जाती है। अपीलधीन भूमि स्वअर्जित ना होकर पैतृक है। फर्द मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मृतक मुरलीधर ने नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित वसीयतनामा द्वारा अपनी पत्नी मृतक जानकी देवी के पक्ष में खुदकाश्त के रूप में स्वअर्जित सम्पति बताते हुए वसीयत की है अर्थात मृतक खातेदार जानकी देवी को उक्त आराजी अपने पति से जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। विवादित सम्पति जानकी देवी द्वारा स्वअर्जित सम्पति नहीं है। पत्रावली में आराजी मृतक जानकी देवी की स्व अर्जित होने बाबत कोई साक्ष्य भी संलग्न नहीं है। उक्त रिपोर्ट एवं मिसल बन्दोबस्त संवत 2011–29 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन भूमि स्वअर्जित ना होकर पैतृक है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के अनुसार यदि सम्पति स्वअर्जित नहीं है, तो उस सम्पति के संबंध में की गई वसीयत स्वतः ही शून्य होने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली एवं तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विवादित आराजी खसरा नंबर 388/1 एवं 388/2 रकबा 32.05 बीघा वाके ग्राम मलिकपुरा तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर मुताबिक जमाबन्दी संवत 2011–2029 में मुरलीधर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जिसकी वसीयत श्री मुरलीधर द्वारा अपनी पत्नी के नाम की गई, जिससे विवादित आराजीयात श्रीमती जानकी देवी की स्वअर्जित सम्पत्ति पुष्ट होती है। ऐसी स्थिति में श्रीमती जानकी देवी द्वारा की गई वसीयत दिनांक 11.05.99 पैतृक भूमि की वसीयत नहीं मानी जा सकती है, अपितु स्वअर्जित ही मानी जावेगी। इसके अतिरिक्त विवादित आराजीयात में अन्य हितधारियों की सहमति व बयान, जिनकी कोई क़ानूनी आवश्यकता नहीं है, भी अपीलान्ट के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में हम अपीलान्ट की अपील स्वीकार करना न्यायोचित पाते हैं।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार किशनगढ रेनवाल का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2019 को निरस्त किया जाता है तथा रेस्पोडेन्ट तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को निर्देश दिए जाते हैं कि अपील के तथ्यों से भिन्न बात ना होने पर विवादित आराजीयात खसरा नंबर 388/1 एवं 388/2 रकबा 32.05 बीघा वाके ग्राम मलिकपुरा तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर का नामान्तरकरण वसीयतकर्ता श्रीमती जानकी देवी की स्वअर्जित सम्पति मानते हुए अपीलार्थी नितेश पारीक के पक्ष में नामान्तरकरण की कार्यवाही एक माह में सुनिश्चित की जावे। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार हो दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर